(प्रस्तावित लोकपाल बिल की कॉपी डाउनलोड यहाँ से करें -

http://indiaagainstcorruption.org/doc/civil_society_s_lokpal_bil.pdf)

जन लोकपाल बिल हिंदी अनुवाद, कमियां और सुझाव-

http://www.docstoc.com/docs/69715053/Prastaavit-Lokpal-bill-hindi-anuvaad--kamiyan-aur-sujhaav

नवीनतम संस्करण- http://schoolofrelationship.org/images/janlokpal%20bill%202.2%20hindi.pdf

http://www.indiaagainstcorruption.org/docs/Jan%20lokpal%20bill%202.2.doc (अंग्रेजी)

आदरणीय कार्यकर्ताजन ,

किरण बेदी, अरविन्द केजरीवाल , स्वामी अग्निवेश के प्रबल और सराहनीय प्रयास कर रहे हैं और नागरिकों को एक २६ पेज वाला कानून का ड्राफ्ट जो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है की सूचना दे रहे हैं . स्वामी रामदेवजी ने भी इस प्रयास को आशीर्वाद दिया है और भारत स्वाभिमान न्यास के कार्यकर्ता भी इस ड्राफ्ट का प्रचार कर रहे हैं .मेरे विचार से सभी कार्यकर्ताओं को समय और प्रयास देना चाहिए नागरिकों को लोकपाल बिल के ड्राफ्ट की जानकारी देने में |

लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा की तीन महत्त्वपूर्ण त्रुटियाँ जो लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में हैं उनको समबोदित करें और वर्त्तमान ड्राफ्ट में उनको सुधारने के लिए कलमें जोड़ें|

लोकपाल बिल ड्राफ्ट के तीन त्रुटियाँ हैं -

१. नागरिको के पास लोकपाल को निकालने का अधिकार नहीं है |

यदि लोकपाल भ्रष्ट है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ सांठगाँठ हो|

२.नागरिकों के पास लोकपाल को पद पर बनाये रखने का अधिकार नहीं है |लोकपाल अध्यक्ष ईमानदार हो सकता है लेकिन भ्रष्ट सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश ईमानदार लोकपाल अध्यक्ष को निकाल सकता है |

३.लोकपाल उन शिकायतों को भी नज़रंदाज़ कर सकता है जो करोड़ों नागरिकों से आ रही है और जिनके पास

कोई मीडिया का साधन नहीं है |

पहली दो त्रुटियाँ हैं कि नागरिकों के पास लोकपाल का चुनाव करने व निकालने का कोई अधिकार नहीं है | यह हटाने की प्रक्रिया पर ही निर्भर करता है कि लोकपाल किसके प्रति जवाबदेह है और ये प्रक्रिया लोकपाल को भ्रष्ट होने से रोकेगी और यदि लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो उसको निकाला जा सके |

प्रस्तावित लोकपाल बिल में केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही लोकपाल को निकाल(सैक्शन ७ प्रस्तावित लोकपाल बिल के देखें) सकता है |

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने भ्रष्ट हैं? माननीय वकील शांति भूषण जी कहते हैं कि आधे से ज्यादा

पूर्व के १६ सर्वोच्च न्यायलय न्यायाधीश भ्रष्ट थे !!

क्या आप को लगता है कि एक भ्रष्ट व्यक्ति लोकपाल को निकाल सकता है यदि वो भ्रष्ट हो जाये तो ?

इसके अलावा भाईभतीजावाद और सुविचारित निष्क्रियता बड़े मुद्दों पर भी आम हो गयी है |

इन परिस्थितयों में ये दो संभावनाएं हैं -

पहली, भ्रष्ट सर्वोच्च न्यायलय न्यायधीश ईमानदार लोकपाल को ब्लैकमेल करेगा जिससे लोकपाल कि स्वतंत्रता में समझौता हो |

दूसरी, भ्रष्ट लोकपाल और भ्रष्ट सर्वोच्च न्यायलय न्यायधीश सांठ गाँठ बना लेते है और एक दुसरे के सहायक होते हैं अनेक तरीकों से |

और ये मानना कि लोकपाल भ्रष्ट नहीं होगा और लोकपाल और सर्वोच्च न्यायलय न्यायधीश सांठ गाँठ नहीं करेंगे

, इस मान्यता को ख़ारिज करना चाहूँगा.लोकपाल भ्रष्ट हो सकता है और सर्वोच्च न्यायलय न्यायधीश के साथ सांठ गाँठ कर सकता है जिस स्थिति में प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष (Right to Recall Lokpal chairperson) अतिआवश्यक है .लोकपाल और सर्वोच्च न्यायलय न्यायधीश दोनों बहुराष्टीय कंपनियां द्वारा ख़रीदे जा सकते हैं , जिस स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पूर्ण अधिकार हो जायेगा भारतीय प्रशासन,मंत्रालयों और न्यायलयों पर | **बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को खरीदना बहुत आसान है बनिस्पत करोड़ों आम नागरिकों के | इसीलिए हमारे पास प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष होना चाहिए ताकि लोकपाल करोड़ों आम नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों|**

प्रजा अधीन लोकपाल सत्यार्थ प्रकाश के लेख द्वारा भी समर्थित है जिसके छटवें अध्याय के पहले पन्ने पर लिखा है कि `राजा या राज वर्ग प्रजा अधीन होना चाहिए अन्यथा वो नागरिकों को लूट लेगा उसी तरह जैसे हिंसक पशु अन्य छोटे पशुओं को मार देते हैं और इस तरह राजा देश को बर्बाद कर देगा.` उसी तरह लोकपाल भी प्रजा अधीन होना चाहिए अन्यथा वो प्रजा को लूट लेगा और देश को बर्बाद कर देगा. यदि प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक है , तो हमें लोकपाल के किसी एक सदस्य को प्रजा अधीन बनाने के लिए सहमत हो जाना चाहिए जो `जनता का सदस्य लोकपाल ` कहलायेगा |

तीसरी त्रुटि है कि हो सकता है कि लोकपाल बड़ी शिकायत की सुनवाई ना करे जो करोड़ों लोगों के लिए मायने रखती है और जिनके पास अमीर वकील और मीडिया का कोई साधन नहीं है .लोकपाल उस शिकायत पर कार्य होने को विलम्ब कर सकता है उसे शिकायत को छोटी बोल कर और ये बोल का कि बहुत थोड़े लोग इसके ऊपर कार्यवाही चाहते हैं. हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कम से कम सुनिश्चित करे कि लोकपाल उन शिकायतों को ख़ारिज ना करे जो करोड़ों नागरिको के महत्त्व कि हो और जिनके पास मीडिया ,वकील के साधन न हों .

<u>प्रस्तावित कलमें जो प्रस्तावित लोकपाल बिल में जोड़नी हैं</u>

मैं निम्न सैक्शन लोकपाल ड्राफ्ट में डालने का प्रस्ताव करता हूँ -

<u>१.सैक्शन-`जनता की आवाज़` पारदर्शी शिकायत प्रणाली/सिस्टम</u>

कलम १ .कोई भी नागरिक यदि कलेक्टर के दफ्तर में आता है यदि अपनी सूचना अधिकार का आवेदन अर्जी या भ्रष्टाचार के खिलाफ फरियाद या कोई भी हलफनामा(एफिडेविट) कलेक्टर को देता है तो उसकी पहचान पत्र कि जांच करके कोई भी दलील दिये बिना कलेक्टर (या उसके द्वारा नियुक्त कार्यकारी मेजिस्ट्रेट) उस हलफनामा(एफिडेविट) को प्रति पेज २० रूपये लेकर सीरियल नंबर दे कर लोकपाल की वेबसाइट पर रखेगा |

कलम २. कोई भी नागरिक मतदाता अपनी हाँ/ना कलम न. १ द्वारा दी गयी फ़रियाद पर दर्ज कर सकता है रु .३ शुल्क दे कर पटवारी (तलाटी) के दफ्तर में अपना पहचान पत्र दिखा कर और पटवारी उसकी हाँ /ना लोकपाल के वेबसाइट पर नागरिक मतदाता के नाम और पहचान पत्र संख्या के साथ रखेगा |

ये पारदर्शी शिकायत प्रणाली/सिस्टम ये सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों की शिकायत दृश्य हो और जाँची जा सके कभी भी , कहीं भी और किसी के भी द्वारा ताकि कोई नेता, कोई बाबू (लोकपाल आदि), कोई जज या मीडिया उस शिकायत को दबा नहीं सके |

ये सैक्शन सुनिश्चित करेगा कि यदि लोकपाल करोड़ों लोगों की शिकायत को नजरंदाज कर रहा है तो उसकी पोल खुल जायेगी और उसकी पोल खुल सकती है इसलिए वो करोडो की शिकायतें को नजरंदाज नहीं करेगा |

<u>प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष</u>

<u>२.सैक्शन- प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष</u>

कलम-१(साधारण घोषणा)-नागरिक शब्द का तात्पर्य रेजिस्त्रिकृत वोटर होगा |

कलम-२(कलेक्टर के लिए प्रक्रिया)- यदि भारत का कोई भी नागरिक,३० वर्ष से अधिक हो और लोकपाल अध्यक्ष बनना चाहे और वो खुद या वकील के द्वारा कलेक्टर को हलफनामा/एफिडेविट देता है, तो कलेक्टर उसकी लोकपाल अध्यक्ष की उम्मीदवारी की अर्जी ले लेगा शुल्क लेने के बाद जो सांसद के चुनाव के समान होगी और उसे लोकपाल की वेबसाइट पर रखेगा |

कलम-३.(पटवारी या उसके क्लर्क के लिए प्रक्रिया) यदि नागरिक स्वयं पटवारी के दफ्तर आ कर, रु.३ शुल्क देकर , अधिकतर पांच व्यक्तियों का अनुमोदन करता है लोकपाल अध्यक्ष के पद के लिए तो पटवारी उसके अनुमोदन कंप्यूटर में डाल देगा और उसे उसके वोटर पहचान पत्र संख्या,तिथि/समय ,अनुमोदित व्यक्ति के नाम वाली रसीद देगा.गरीबी रेखा के नीचे लोगों के लिए शुल्क रु.१ होगा. यदि नागरिक अपने अनुमोदन रद्द करने आते हैं तो पटवारी बिना कोई शुल्क लिए एक या अधिक अनुमोदन रद्द करेगा |

कलम-४.(पटवारी या उसके क्लर्क के लिए प्रक्रिया)- पटवारी नागरिक के अनुमोदन लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा नागरिक के वोटर पहचान पत्र संख्या सहित |

कलम-५.(लोकपाल सचिव के लिए प्रक्रिया)- हर महीने के पांचवी तारीख पर लोकपाल सचिव पिछले महीने के आखरी तारीख की अनुमोदन संख्या प्रकाशित करेगा हर प्रत्याशी के लिए |

कलम-६.-(लोकपाल के लिए प्रक्रिया)- यदि किसी प्रत्याशी को ३७ करोड़ नागरिक वोटर के अनुमोदन मिलते हैं तो लोकपाल अध्यक्ष पद त्याग सकता है और लोकपल सदस्यों को सर्वाधिक अनुमोदन वाले प्रत्याशी की नियुक्ति के लिए निर्देशित कर सकता है |

==========

प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष की कलमें किसी लोकपाल को पद पर कायम रखने के लिए
भी प्रयोग की जा सकती हैं यदि लोकपाल अध्यक्ष ईमानदार है और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश उसे निकालता है |

ऐसी स्थिति में नागरिक अपने अनुमोदन रख सकेगा उस ईमानदार लोकपाल अध्यक्ष के लिए और उसे फिर से लोकपाल अध्यक्ष बनाएगा |

फिर से दोहराऊंगा यदि प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक है , तो हमें लोकपाल के किसी एक सदस्य को प्रजा अधीन बनाने के लिए सहमत हो जाना चाहिए जो `जनता का सदस्य लोकपाल` कहलायेगा |

सन २००० के आस-पास सूचना अधिकार को लेकर काफी शोर शराबा था . सूचना अधिकार से मंत्रालय, पुलिस, प्रशाशन ,न्यायालयों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की अपेक्षा थी लेकिन अब छे साल सूचना अधिकार के पारित होने के बाद भी भ्रष्टाचार में कमी कहीं भी नहीं दिख रही है . सूचना अधिकार चूक गया है क्योंकि नागरिक के पास राज्य/केन्द्रीय स्तर के सूचना अधिकार कमिशनर को निकालने/बदलने की प्रक्रिया नहीं है . और इसीलिए सूचना अधिकार कमिश्नर बिक गए और सूचना अधिकार मुख्य मुद्दों पर अप्रभावी हो गया है.

अभी कोई तुक नहीं है वोही गलती लोकपाल में करने की. यदि लोकपाल में कोई प्रजा अधीन लोकपाल कानून नहीं है तो लोकपाल बिक जायेगा और हम फिर से पहले खाने पर आ जायेंगे. इसीलिए यदि आप लोकपाल के लिए काम कर रहे हैं और अपना प्रयास व्यर्थ नहीं जाना देना चाहते तो कृपया प्रजा अधीन लोकपाल के बिना ड्राफ्ट को समर्थन ना करें.

हमें अरविन्द केजरीवाल जी और किरण बेदी जी से भिन्ती करनी चाहिए प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष कलमें को लोकपाल बिल ड्राफ्ट में डालने के लिए ९८६८०६९९५३ या ९७१८२५५४५५ पर. आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकती हैं- ९७१७४६००२९ पर.

कृपया प्रजा अधीन लोकपाल अध्यक्ष के कलमें कि लिंक हिंदी और अंग्रेजी में विवरण /description में देखें.-

हिंदी-

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw5IEnkfH2GUOTQ5NTJkOTctZmRlMS00OTFjLWE5YjktZmMzZDM3ZDE2MDJj&hl=en

English-

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw5IEnkfH2GUMDU2NjQwOGEtZGRiYi00YWMxLTgxNTMtYzY3OWY2NzU4NmU1&hl=en